न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः—212 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः—63 / 2015

1. करनैलसिंह
2. शेरसिह
3. बोगासिंह
4. हरनेकसिंह

} पि.दलीपसिह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मनीर पुत्र गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

उपस्थितः—श्री मोतीलाल कन्दोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री नक्षत्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :— 12.2.2018

प्रार्थीगण करनैलसिंह द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षेप के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के नाम से चक नं.7 एम.एम.के.में कृषि भूमि थी जिसका अप्रार्थी खातेदार काश्तकार था। अप्रार्थी द्वारा चक 7 एम.एम.के में स्थित अपनी 14 बीघा कृषि भूमि में से प.नं.139 / 200 मु.17 किला नं.17 व 24 कुल 2 बीघा भूमि को श्रीमति चाची बाई धर्मपत्नी टीकमदास जाति सिंधी को दिनांक 30.5. 1979 को जरिये पंजीकृत बैयनामा के विक्रय कर दी तथा अपनी चक 7 एम.एम. के प.नं.139 / 200 मु.17 किला नं.14 व 18 कुल 2 बीघा कृषि भूमि टीकमदास पुत्र हरूमल जाति सिंधी को दिनांक 30.5.1979 को जरिये पंजीकृत बैयनामा के विक्रय कर दी। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि विक्रय करने क बाद उक्त 4 बीघा कृषि भूमि के एक मात्र मालिक चाची बाई व टीकमदास हो गये।

अप्रार्थी द्वारा विक्रय करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में यह कृषि भूमि क्रेता चाची बाई व टीकमदास के नाम से दर्ज नहीं करवाई गई। चाची बाई व टीकमदास के द्वारा उक्त कृषि भूमि को समयोजित करते हुए अपनी कृल भूमि प्रार्थीगण के पिता दलीपसिंह पुत्र गजनसिंह को जरिये ईकरारनामा दिनांक 25.8. 1983 को विक्रय कर दी तथा मौका पर चाची बाई व टीकमदास द्वारा प्रार्थीगण के पिता को कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवाद रुप से काबिज चले आ रहे है जिस बाबत कभी भी चाची बाई व टीकमदास के द्वारा कोई उज्र व ऐतराज नहीं किया गया। अप्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि जो प्रार्थना—पत्र की दफा 2 में वर्णित है को जरिये पंजीकृत बैयनामा के विक्रय किया जा चुका है तथा विक्रय के रोज ही मुनीर द्वारा क्रेतागण को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है लेकिन केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद होने के कारण अब मुनीर के मन में लालच आ गया है तथा इसी लालचवश मुनीर अब राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन,बैय करने के लिए प्रयासरत है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा की कृषि भूमि जो उन्होने खरीद की है, को हड़प करने के लिए राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कुछ बदमाश किस्म के व्यक्तियों को कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन,बैय कर प्रार्थीगण से जबरन कब्जा छीन लेंगे। यदि अप्रार्थी अपने इस विधिक व मनमानापुर्ण कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपयों में नहीं आंका जा सकता। प्रार्थीगण के द्वारा कृषि भूमि

Scanned by CamScanner

सम्प्रतिफल खरीद की है तथा खरीद के रोज से ही प्रार्थीगण का निर्विवाद रुप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने व अपने परिवार के लिए कृषि भूमि खरीद की थी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व इस आषय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी चक 7 एम.एम.के. के प.नं.139/200 मु.17 किला नं. 14,17,18 व 24 को रहन,बैय करने, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने,हस्तक्षेप करवाने से निषेद्व रहे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये प्रार्थना–पत्र की दफा में दर्ज कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र मय अतिरिक्त आपतियॉ प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा चाचीबाई व टीकमदास को कभी कोई बैयनामा नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण ईकरारनामा के जरिये माननीय न्यायालय से किस प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। अप्रार्थी के नाम से चक नं. 7 एम.एम.के.में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके मुताबिक अप्रार्थी उक्त आराजी का रिकार्डिड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी द्वारा चाची बाई तथा टीकमदास को कोई आराजी बेचान नहीं की गई। चूँकि उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ऐसे में प्रार्थीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाची बाई तथा टीकमदास से अगर वादग्रस्त आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 25.8.83 को प्राप्त की है तो प्रार्थीगण सक्षम सिविल न्यायालय के जरिये उक्त इकरारनामा के आधार पर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर सकते है। उक्त ईकरानामा के जरिये प्रार्थीगण न ही तो माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त कर सकते है तथा न ही प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी को केवल मात्र तंग व परेशान करने के उदेद्श्य से तथा अप्रार्थी के राजस्व अधिकारों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है तथा प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र क्षैत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण तथाकथित ईकरारनामा के जरिये केवल मात्र सिविल न्यायालय के समक्ष दावा पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ईकरारनामा के जरिये माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर शामिल किया गया।

पत्रावली बहस हेतु पेश होने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा अप्रार्थी मुनीर द्वारा टीकमदास व चाची बाई को विक्रय की गई कृषि भूमि के बैयनामें की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवाद रुप से काबिज चले आ रहे है तथा अप्रार्थी द्वारा भूमाफिया किस्म के लोगों को कृषि भूमि विक्रय कर देने से मौका पर खून खराबा हो सकता है तथा प्रार्थीगण अपने साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी.2007 पेज नं.26 बेगराज बनाम् मदनसिंह, आर.आर.टी. 2003 पार्ट प्रथम पेज नं.650 व आर.आर.डी.1974 पेज नं.226 पेश कर प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र. में वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन,बैय करने व प्रार्थीगण के कब्जा में हस्तक्षेप करने से निषेध रहे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी लिखित बहस पेश की गई जिसमें अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया व लिखित

Scanned by CamScanner

बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी.1991 पेज 426 (ए), आर.आर.डी.1992 पेज 414 (बी), आर.आर.डी.1992 पेज 628 (ए), आर.आर.डी. 2014 पेज 107,आर. आर.डी. 1984 पेज 227, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1100 पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। माननीय न्यायालय की नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का, अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु निम्न द्वारा सुस्थापित निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण करना होगा

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति।

प्रथम दृष्टया मामलाः– अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रश्नगत आराजी दर्शायी मुनीर द्वारा टीकमदास व चाची बाई को दिनांक 30.5.1979 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचान किया गया। इन बैयनामों को आज तक किसी न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है। टीकमदास व चाची बाई ने प्रश्नगत आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 25.8.83 प्रार्थीगण के पिता को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था तब से प्रार्थीगण का पिता व उनकी फौतगी के बाद, प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर लगातार कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न हो जाने के कारण अप्रार्थी इस आराजी को पुनः विक्रय करना चाहता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रश्नगत आराजी को चाचीबाई व टीकमदास को बेचान नहीं करना बताया।

पत्रावली पर उपलब्ध बैयनामा दिनांक 30.5.1979 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह एक पंजीबद्व दस्तावेज है जिसके द्वारा चक 7 एम.एम.के.प.नं. 139/200 मु.17 किला नं.14,17,18 व 24 का बैचान अप्रार्थी द्वारा चाचीबाई व टीकमदास को किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इन बैयनामों के सम्बन्ध में अपनी बहस में कोई कथन नहीं किया केवल ऐसे बैयनामों का इन्कार होना जाहिर किया है।

प्रस्तुत बैयनामें पंजीकृत दस्तावेज है जब तक अवैध घोषित न कर दिया जाए उनकी वैधता सिद्व मानी जाती है जिनके द्वारा प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी द्वारा टीकमदास व चाचीबाई को बैय होना साबित है। चाचीबाई द्वारा जरिये इकरानामा दिनांक 25.08.83 को प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के पिता को विक्रय करना प्रतीत होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बैयनामें की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया है अपितु बैयनामा के आक्षेप को ही इन्कार किया है। दस्तावेजों की वैधता का प्रश्न बाद कायम तनकीयात जरिये साक्ष्य दावे में तय होना है। प्रथमतः मौके पर काबिज व्यक्ति के हितों का संरक्षण अपेक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन विभग द्वारा निर्मित शुद्वकार खसरा/गिरदावरी से प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षतिः–

उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं का एक साथ निर्णित किया जाता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है तथा बैयनामा की प्रतियां पेश कर यह भी साबित किया है कि मुनीर के द्वारा अपनी कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

टीकमदास व चाची बाई को विक्रय की जा चुकी है व टीकमदास व चाची बाई द्वारा प्रार्थीगण के पिता को उक्त भूमि विक्रय की गई थी जिस पर खरीद के समय से प्रार्थीगण के पिता व उनकी फौतगी के बाद से प्रार्थीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा जल संसाधन विभाग की गिरदावरियॉ भी साक्ष्य के रुप मे पेश की है। टीकमदास व चाची बाई का प्रार्थीगण के साथ कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामाजात जो अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि टीकमदास व चाची बाई को विक्रय की गई है की प्रतियॉ पेश की है तथा टीकमदस व चाची बाई द्वारा जरिये इकरारनामा भूमि प्रार्थीगण के पिता को विक्रय की गई है प्रति पेश की है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में ही जरिये बैयनामा भूमि विक्रय की जा चुकी है, लेकिन उक्त बैयनामों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को पुनः विक्रय नहीं कर सकता, अगर अप्रार्थी ने ऐसा कर दिया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

इस स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व बनाता है कि विवादग्रस्त आराजी की संरक्षा करें। अधिवक्ता अप्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज न होने सकी सूरत में उन्हे किस प्रकरण अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किय जाते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.6.2015 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म कर अप्रार्थी को पावन्द किया जाता है कि अप्रार्थी,प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 7 एम.एम.के. प.नं. 139/200 मु. 17 किला नं. 14,17,18 व 24 को रहन,बैय करने तथा प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से हस्ताक्षेप करने से निषेद्व रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner